

बिहार सरकार  
कृषि विभाग  
पत्र संख्या-3/कृ० बजट-आवंटन-25/2015- 218(आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016  
प्रेषक,

प्रभु राम,  
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Fax/Mail सेवा में,

कृषि निदेशक  
बिहार पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना, हरित क्रांति योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण की योजना हेतु कुल 1508.00 लाख रुपये (पन्द्रह करोड़ आठ लाख रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए कुल 1251.64 लाख रुपये (बारह करोड़ एकावन लाख चौंसठ हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹12,51,64,000 (बारह करोड़ एकावन लाख चौंसठ हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-939 दिनांक-22.02.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना, हरित क्रांति योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण की योजना हेतु कुल 1508.00 लाख रुपये (पन्द्रह करोड़ आठ लाख रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए कुल 1251.64 लाख रुपये (बारह करोड़ एकावन लाख चौंसठ हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹12,51,64,000 (बारह करोड़ एकावन लाख चौंसठ हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹12,51,64,000 (बारह करोड़ एकावन लाख चौंसठ हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-माँग संख्या-1 -उपशीर्ष-0216- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०८०), विपत्र कोड-P2401001090216, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 अंतर्गत वित्तीय वर्ष -2015-16 में विषयशीर्ष-31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद ठी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

*Alf 310*  
(प्रभु राम) 2/310

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
*Alf 310* कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

218(आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016

प्रतिलिपि : 1. महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Alf 310*  
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
*Alf 310* कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

२१८(ओवरटन)

/कृ०, पटना, दिनांक ०३-०३-२०१६

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना /निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर निदेशक, (शष्य) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, राठू०विं०वि०, पूसा, समरस्तीपुर/कुलपति, बिं०कू०विं०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (अभीयंत्रण) बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य) बीज बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना/ निदेशक बामेति बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य ) सूचना / आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विभागीय बैवसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई—मैल करने हेतु प्रेषित।

*००७३१०*  
निदेशक प्रसासन छृ०हृ०लपर सचिव  
कृषि विभाग बिहार पटना।